

बिहार सरकार  
पर्यटन विभाग

प्रथम तल, बी० ब्लॉक, एक्सटेंशन भवन, मुख्य सचिवालय, पटना।

Email- js. [bihartourism@gmail.com](mailto:bihartourism@gmail.com), website: [www.bihartourism.gov.in](http://www.bihartourism.gov.in)



संचिका संख्या०— पर्य०वि०प०(ता०)— 41 / 2023. 25/6..... दिनांक 06-11-2023

प्रेषक,

उप निदेशक,  
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार), माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 205वें सत्र में पूछे जाने वाले तारांकित ऑनलाईन प्रश्न संख्या— 1 / 205 / 140 को हस्तांतरित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार), माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 205वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सङ्क दुर्घटना में मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि दिये जाने से संबंधित है। इस विषय का संबंध भवदीय के विभाग से है।

अतः उक्त प्रश्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु हस्तांतरित किया जा रहा है। इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद् को भी दी जा रही है।

सादर।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

उप निदेशक,  
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक....06-11-2023

ज्ञापांक.....25/6.....

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, बिहार विधान परिषद्/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को उक्त ऑनलाईन प्रश्न संख्या 1 / 205 / 140 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक,  
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

## Bihar Vidhan Parishad Question

1/205/140

### अनुग्रह राशि देने का विचार कबतक

20/10/2023

02/11/2023

\*1/205/140 श्री सौरभ कुमार(पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार)

#### पर्यटन

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत प्रखंड रामगढ़ चौक के ग्राम+पो.- बड़हारा थाना हल्सी के स्वर्गीय अजय मांझी, पिता- सुजीत मांझी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिनांक- 08.10.2023 को दूरडीह गांव में टैम्पू दुर्घटना के कारण हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि अजय मांझी की मृत्यु के कारण परिवार के लोग काफी सदमे एवं भयभीत हो गये हैं, मृतक का परिवार अत्यंत ही गरीब है, पिता एवं पति के खोने से मानसिक संतुलन खो बैठा है और कार्यालय का चक्कर लगाते-लगाते थक चुका है;

(ग) क्या यह सही है कि मृतक के परिवार के द्वारा वर्ष 2022 में सारे कागजात को संलग्न करते हुए अंचलाधिकारी, रामगढ़ चौक तथा जिलाधिकारी लखीसराय को अनुग्रह अनुदान के लिए आवेदन दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबत ?

----